

# कार्यालय नगरपालिका मण्डल, फलोदी


परिशिष्ट "जी"

(आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनो से भिन्न प्रयोजनार्थ

भूमि का आवंटन)

शाश्वत लीज

(99 वर्षीय)



पत्रावली संख्या:— 170 / 2018-2019

नम्बर विलेख:— 148 / 2018-2019

यह करार एक पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे 'पट्टाकर्ता' कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में **ढढा एण्ड कम्पनी गोल्डन जुबली ट्रस्ट, चैन्नई** (जिसे इसमें आगे 'पट्टेदार' कहा गया है) के मध्य आज दिनांक **27-09-2018** को किया गया है। उक्त विद्यालय हेतु भूमि का आवंटन दिनांक **12-09-2018** को किया गया था।

अतः पट्टेदार ने पट्टाकर्ता को इसमें वर्णित भू-खण्ड जो कि पट्टाकर्ता का है, का पट्टा देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और पट्टाकर्ता ने पट्टेदार द्वारा किये कथनों और अभिव्यक्तों को विश्वास करते हुए उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया है और इसमें बताई गई रीति से पट्टेदार उक्त भू-खण्ड का पट्टान्तरण करने को सहमत हो गया है।

अब यह दस्तावेज इस बात का साक्षी है कि इस दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व (विद्यालय हेतु भूमि आवंटन) प्रीमियम के लिये वर्तमान आवासीय आरक्षित दर (प्रति वर्गगज) से राशि रूपये **80,04,828/-** (रूपये अस्सी लाख चार हजार आठ सौ अठईस मात्र) जरिये RTGS UTR NO: IBKLR92018091200083024 दिनांक **12-09-2018** रसीद नंबर **207/83** दिनांक **13-09-2018** के द्वारा पालिका कोष में जमा करवा दी हैं। जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है, और इसमें आगे आरक्षित किराये के और उसमें आगे दी हुई पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के प्रतिफल स्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार को इसके द्वारा यह सम्पूर्ण भू-खण्ड पट्टान्तरित करता है जो **बापू नगर साऊथ ब्लॉक आवासीय योजना** के ले आउट नक्शों में हैं जिसका भूखण्ड नंबर **205** की साईज का क्षेत्रफल **64584** वर्गफुट या **7176** वर्गगज यानि **6000** वर्गमीटर या उसके लगभग है और **फलोदी** में स्थित हैं। इस भू-खण्ड का विस्तृत विवरण इसमें नीचे लिखी अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए इसकी सीमायें इस विलेख में संलग्न नक्शों में लाल रंग से बनाई गई है और लाल

कमला शर्मा  
सम्बन्ध  
नगर पालिका, फलोदी

Dadlin & Co Golden Jubilee Trust  
H.C. Sharma  
Trustee/Authorized Sign

वशिवासी वशिवासी  
नगर पालिका, फलोदी

उप पंजीयक फलोदी

रंग भरा गया है, (जिसे इसमें आने 'भू-खण्ड' कहा गया है) पट्टाकर्ता उसके सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित, जो उक्त भू-खण्ड के परिसर के अधिपत्य से सम्बन्धित हो, दिनांक 27-09-2018 से सदा के लिये पट्टेदार को पट्टान्तरित करता है। यह पट्टान्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार दिनांक 13-09-2018 से 10 वर्ष की अग्रिम (एक मुश्त) लीज राशि रूपये 17,40,180/- (रूपये सत्रह लाख चालीस हजार एक सौ अस्सी मात्र) जरिये RTGS UTR NO: IBKLR92018091200083024 दिनांक 12-09-2018 रसीद नंबर 207/83 दिनांक 13-09-2018 के द्वारा पालिका कोष में 2.5 प्रतिशत से जमा करवा दी है।

यह पट्टान्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार ने राज्य सरकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प-8(ग)327(भूमि) नियम/डी.एल.बी/95/250-477 दिनांक 7-02-1995 की अनुपालना में पट्टेदार ने अग्रिम लीज जमा करवा दी है। अतः 10 वर्ष की अग्रिम लीज (एक मुश्त) राशि जमा कराने पर उक्त भूखण्ड को लीज मुक्त रखा गया है।

यह सर्वदा कि इसमें आगे अन्तर्विष्ट अपवादों, आरक्षणों, प्रसंविदाओं और शर्त जो निम्न प्रकार है, के अध्यक्षीन होगा, अर्थात्-

I. पट्टाकर्ता, भू-खण्ड में या उसके नीचे की समस्त खानों, खनिजों कोयलों, गोल्डवांशिग, भू-तेल, खदानों और सदैव ऐसे समस्त कार्य और चीजें करने जो इनकी तलाशी करने, इसके लिए कार्य करने, इन्हें प्राप्त करने हटाने और इसका उपभोग करने के प्रयोजनार्थ जरूरी और समीचीन हो, भू-खण्ड की सतह या उस पर तत्समय बने किसी भवन के लिए कोई उर्ध्व सहारा दिये बिना या छोड़े बिना करने के समस्त अधिकार और शक्तियां स्वयं के लिए छोड़ता है और आरक्षित रखता है परन्तु पट्टाकर्ता इसके द्वारा आरक्षित या उनमें किसी अधिकार का प्रयोग करने से हुए समस्त सीधे नुकसान के लिए पट्टेदार को उचित मुआवजा देगा।

II. पट्टेदार स्वयं अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशित के लिए पट्टाकर्ता से नीचे लिखी रीति से प्रसंविदाएँ करता है, अर्थात्-

(1) पट्टेदार ऐसे समय के भीतर और ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों का संदाय करेगा, जो भूमि अवाप्ति कलक्टर द्वारा अधिनिर्णित ऐसे प्रतिकर जो निर्देश पर या अपील में या दोनों में बढ़ा दिया गया हो पट्टाकर्ता द्वारा तय किया जाये और इस निमित्त पट्टेकर्ता का विनिश्चय अन्तिम और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा। इसके द्वारा आरक्षित प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत के वार्षिक किराये की संगणना इन विलेखों के निष्पादन से पूर्व पट्टाकर्ता द्वारा प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि पर और प्रीमियम



कमला शान्की  
अध्यक्ष  
नंबर पालिका, फलोदी

Dadha & Co Golden Jubilee Trust  
अधिसायी अधिकारी  
नंबर पालिका, फलोदी  
Trustee/Authorised Sign

उप पंजीयक फलोदी

के रूप में भुगतान योग्य ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों पर जिसका कि इसमें उपबन्ध किया गया है, तारीख 12-09-2117 से की जाएगी।

(2) पट्टेदार पट्टेकर्ता को इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराये का भुगतान इसमें पहले नियत दिनों पर और उसी प्रकार से करेगा।

(3) पट्टेदार, ले-आउट नक्शों में किसी भी प्रकार विचलित नहीं होगा और न ही भूखण्ड के आकार में, उप-विभाजन, समामेलन द्वारा या अन्यथा परिवर्तन करेगा।

(4) पट्टेदार, उचित नगरपालिका का अन्य प्राधिकरण से, स्वयं के खर्च पर आवश्यक डिजाइनों, नक्शों और विनिर्दिष्टियों सहित भवन के नक्शों की मंजूरी प्राप्त करके तारीख 27-09-2018 से दो वर्षों की समयावधि के भीतर (और इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय संविदा का गर्भ होगा) भू-खण्ड पर परिनिर्माण करेगा और भवन के मंजूरशुदा नक्शों के अनुसार और आवश्यक समुचित दीवारों, मलनालियों, तथा अन्य सुविधाओं सहित, अनुमोदित उपयोग के लिए पर्याप्त और कार्यकारी जैसी रीति से भवन तैयार करेगा।

(5) पट्टेदार, उक्त भूखण्ड के कब्जे का पूर्णतः या अंशतः विक्रय, अन्तरण या समनुदेशन नहीं करेगा या अन्यथा पृथक् नहीं करेगा।

(6) जब कभी भी उक्त भू खण्ड में पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति से अन्तरित हो जाये तब अन्तरित, इसमें अन्तर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं और शर्तों से आवद्ध होगा और उसके लिये हर प्रकार से उत्तरदायी होगा।

(7) जब कभी भी भू-खण्ड का स्वत्व किसी भी रीति से अन्तरित हो जाए तब अन्तरणकर्ता और अन्तरित अन्तरण के तीन माह के भीतर पट्टाकर्ता को ऐसे अन्तरण की लिखित में सूचना देगा। पट्टादार की मृत्यु की दशा में, वह व्यक्ति जिसके मृतक का स्वत्व न्यागत होगा, न्यागमन के तीन माह के भीतर पट्टाकर्ता को ऐसे न्यागमन की सूचना देगा।

अन्तरित या वह व्यक्ति जिसे स्वत्व न्यागत हो, यथा स्थिति पट्टाकर्ता को अन्तरण या न्यागमन का साक्ष्य देने वाले निर्णय/विलेखों की प्रमाणित प्रतियां देगा।

(8) पट्टेदार समय-समय पर और हमेशा ऐसी समस्त दरों, करों, प्रभारों और हर प्रकार के निर्धारणों का भुगतान और उन्मोचन करेगा, जो अभी या इसके बाद लीज के जारी रहने के दौरान किसी भी समय इसके द्वारा पट्टान्तरित भू-खण्ड पर या उस पर परिनिर्मित किसी भी भवन पर या इससे सम्बन्धित किसी भूस्वामि या किरायेदार पर निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किया जाये।



कमला शान्नी  
अध्यक्ष  
नगर पालिका, कचोदी

Dadha & Co Golden Jubilee Trust  
H.C. Shree  
Trustee/Authorised Sign

(9) इसके द्वारा पट्टान्तरित भू-खण्ड के सम्बन्ध में देय किराये और अन्य संदाय के बकाया उसी प्रकार से जिससे भू-खण्ड बकाया राशि वसूल कि जाती है, वसूलीय होगी।

(10) पट्टेदार समूचित नगरपालिका या तत्समय प्रवृत्त अन्य प्राधिकरण के भवन, नाली और अन्य उपनियमों का सभी तरह से अनुपालन करेगा और उनसे आबद्ध रहेगा।

(11) पट्टेदार समूचित नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण की लिखित स्वीकृति या अनुज्ञा के बिना भूखण्ड पर कोई भवन परिनिर्मित नहीं करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा।

(12) पट्टेदार पट्टाकर्ता की लिखित सम्मति के बिना भूखण्ड या उस पर बने किसी भवन का किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा अथवा अन्य प्रयोजनो, जो राज्यपाल द्वारा समय समय पर मंजूर किये जाये, से भिन्न किसी भी प्रयोजनार्थ उसका उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा अथवा उसमें कोई ऐसा कार्य जो भी कुछ भी हो, नहीं करेगा या नहीं देगा जिससे पट्टाकर्ता और पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अनुत्रास, क्षोभ या विध्न हो, परन्तु यदि पट्टेदार उक्त भू-खण्ड या उस क्षेत्र पर बने भवन का उपयोग उससे या सहमत, जिसको समय समय पर मंजूर कर दिया जाये, से भिन्न भुगतान करने का इच्छुक हो तब पट्टाकर्ता अतिरिक्त प्रीमियम और अतिरिक्त किराये के भुगतान सहित ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो पट्टाकर्ता पूर्ण स्वविवेकानुसार अवधारित करें, उपयोग के ऐसे परिवर्तन को अनुज्ञात कर सकता हैं।

(13) पट्टेदार सभी उपयुक्त अवसरों पर राज्यपाल को यह समाधान करने के लिए भू-खण्डों पर प्रवेश करने देगा कि इसमें वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों का अनुपालन किया गया है और किया जा रहा है।

(14) पट्टेदार इस लीज के पर्यवसान पर उक्त भू-खण्ड और उस पर बने भवन को शान्तिपूर्वक पट्टाकर्ता के लिए छोड़ देगा।

III. यदि इसमें प्रीमियम की प्रति संदेय राशि या राशियों या इसके द्वारा आरक्षित किराया या उसका कोई भाग, उक्त दिनांको के, जब यह देय हो गया हो, पश्चात् एक कलैण्डर मास तक किसी समय बकाया और असंदत रहता है, चाहे उसकी मांग की गई हो या नहीं या यदि यह पता चल जाये कि यह लीज कोई भी तथ्य छुपाकर या किसी अशुद्ध कथन, दूर्यपदेशन या कपट से प्राप्त की गई है या पट्टाकर्ता जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा, की यह राय है कि पट्टेदार ने या उसके माध्यम से या उसके व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने इसमें अन्तर्विष्ट और उसके द्वारा अनुपालना की जाने वाली प्रसंविदाओं और शर्तों में से किसी का भंग किया है तो उस दशा में, इस बात के होते हुए भी

4



कामला शानवी  
अध्यक्ष  
नगर पालिका, फलोदी

  
अधिकारी अतिरिक्त  
नगर पालिका, फलोदी

Dadha & Co Golden Jubilee Trust  


Trustee/Authorised Sign.

  
उप पंजीयक फलोदी

कि इसके द्वारा पट्टाकर्ता उक्त भूखण्ड और उस पर बने भवनों में पुनः प्रवेश कि किसी पूर्व के लिए या अधिकार का अधित्यजन कर दिया है, पट्टाकर्ता के लिये यह कानून के अनुसार होगा कि वह भू-खण्ड पर पुनः प्रवेश करे और उस पर बने भवनों व फिक्चरों का कब्जा ले और तब तक यह लीज और इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्येक बात समाप्त और पर्यवसित हो जायेगी और पट्टेदार किसी भी प्रतिकर के लिये या उस प्रीमियम के जिसका उसने भुगतान किया है, लौटाए जाने के लिये अधिकारी नहीं होगा।

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश के उपर्युक्त अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और पूर्ण स्वविवेकानुसार ऐसी राशि प्राप्त होने पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो उसके द्वारा निश्चित की जाये भंगो का अस्थाई रूप से या अन्यथा, अधित्यजन या अपकर्षण कर सकता है, और किराये का जो उपर्युक्त रूप से बकाया हो, भुगतान भी स्वीकार कर सकता है।

IV. कोई भी समपहरण या पुनः प्रवेश की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर लिखित रूप में ऐसी सूचना की तामील न कर दी जो जिसमें—

(ए) उक्त भंग की विशिष्ट दी हो उसके बारे में शिकायत की गई हो, और

(बी) यदि भंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो:

और पट्टेदार उस सूचना में यथा वर्णित उचित समय के भीतर उस भंग का यदि व उपचार के योग्य है, तो उपचार करने में असफल हुआ और समपहरण या पुनः प्रवेश की दशा में स्वविवेकानुसार ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो वह उपयुक्त समझे उस समपहरण के विरुद्ध राहत दे सकेगा।

इस खण्ड की कोई बात समपहरण या पुनः प्रवेश पर निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगी—

(अ) उस विभाजन या समामेलन उपबंधित समय के भीतर भवन के परिनिर्माण और पूर्ण करने और भू-खण्ड कि अन्तरण जैसा कि खण्ड 11 में उल्लेख है, से सम्बन्धित प्रसंविदाओं और शर्त के उल्लंघन के लिए, या

(ब) उस दशा में जब यह लीज किसी तथ्य को छुपाने, अशुद्ध कथन दुर्यपदेशन या धोखे से प्राप्त कि गई हो।



कामला शान्की  
अध्यक्ष  
शहर पालिका, फलोदी

  
अधिकायी अधिकारी  
शहर पालिका, फलोदी

Dadha & Co Golden Jubilee Trust  
  
Trustee/Authorised Sign

  
उप पंजीयक फलोदी

V. इसके द्वारा आरक्षित किराये में नियमानुसार समयावधि के अन्त में बढ़ाया जायेगा परन्तु नियत किराये में हरेक वृद्धि पर हर बार, संदेय वार्षिक किराये के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

VI. इन विलेखों के अधीन या उनके सम्बन्ध में (सिवाय ऐसे मामलों के जिनके विनिश्चय का इन विलेखों द्वारा विनिर्दिष्ट: उपबन्ध किया गया है) कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की दशा में उसे राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकल माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। यह आक्षेप नहीं होगा कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है और यह कि उसे उन मामलों पर विचार करना पड़ता है जिससे लीज सम्बन्धित है या यह कि उसकी सरकारी कर्मचारी के रूप में ड्युटी के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद के समस्त या किन्हीं मामलों पर विचार व्यक्त कर चुका है। मध्यस्थ का पंचाट अन्तिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ पक्षकारों की सम्पत्ति से पंचाट करने और प्रकाशित करने की समयावधि समय-समय पर बढ़ा सकता है।

उपर्युक्त के अधीन मध्यस्थ पंचाट अधिनियम, 1940 और उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त नियम तथा उसके कोई उपान्तरण, इस खण्ड के अधीन मध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू समझे जायेंगे।

VII. इस लीज के अधीन दिये जाने वाले समस्त नोटिस, आदेश, निर्देश, सम्पतियां या अनुमोदन लिखित रूप में होंगे और उन पर ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किया जाये हस्ताक्षर किये जायेंगे और उन्हें पट्टेदार या भू-खण्ड पर किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर सम्यक् रूप से तामील हुआ समझा जायेगा यदि वे भू-खण्ड पर बने किसी भवन या परिनिर्माण, चाहे अस्थाई या अन्यथा पर चिपका दिया जायेगा या पट्टेदार अथवा ऐसे व्यक्ति के तत्कालीन निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान या सामान्य या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान कार्यालय या कारोबार के स्थान पर परिदत्त कर दिया जायेगा या डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

VIII. (ए) इस लीज के अधीन पट्टाकर्ता द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य समस्त शक्तियों का राज्यपाल द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। पट्टाकर्ता उसे लीज के अधीन प्रयोग किये जाने योग्य समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को भी प्राधिकृत कर सकता है।

(बी) राज्यपाल, ऊपर उपखण्ड (ए) के अनुसार उसके द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य पट्टाकर्ता की शक्तियों के अलावा ऐसी समस्त या किन्हीं शक्तियों जिनका इस लीज के अधीन प्रयोग करने के लिए सशक्त है, का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है।

जमला शानवी  
अध्यक्ष  
बबर पालिका, फलोदी

राम  
बबर पालिका, फलोदी

Dadha & Co Golden Jubilee Trust  
HCSHane  
Trustee/Authorised Sign



उप पंजीयक फलोदी

IX. इस लीज में शब्द 'राज्यपाल' से राजस्थान का राज्यपाल अनिश्चित है। उक्त शब्द में ऐसा अधिकारी जो इस लीज के अधीन राज्यपाल के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए पट्टाकर्ता द्वारा पदाविहित किया जाये, भी सम्मिलित होगा।

X. इसमें पूर्व में प्रयुक्त शब्दों 'पट्टाकर्ता' और 'पट्टेदार' में जहां प्रसंग में ऐसा स्वीकार हो, पट्टाकर्ता के मामले में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित तथा पट्टेदार के मामलों में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या विधिक प्रतिनिधी और वह या वे व्यक्ति जिनमें इसके द्वारा सृजित लीज होल्ड हित तत्समय समनुदेशन द्वारा या अन्यथा निहित किया जायेगा, शामिल होंगे।

XI. यह लीज गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1895) के अधीन दी गई है।

इस लीज डीड में दर्शायी गई शर्तों के अलावा अन्य आवश्यक शर्तें निम्न अनुसार रहेगी। जिसका पट्टेदार/आवंटी को पालन करना अनिवार्य होगा:-

1. पट्टेदार को लीज डीड जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर भूखण्ड पर निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार व निर्धारित प्रकार का विद्यालय भवन सक्षम अधिकारी से नक्शा स्वीकृत करवाकर निर्माण करवाना होगा।
2. पट्टेदार को भूखण्ड को विभाजित करने अथवा अन्य भूखण्ड में मिला लेने का हक नहीं होगा।
3. पट्टेदार को भूखण्ड व उस पर निर्मित भवन के संबंध में लागू किये जाने वाले समस्त करों व अन्य वसूली की जाने वाली राशि का भूगतान करना होगा।
4. यदि भूखण्ड किसी भी प्रकार से झूठा निरूपण, गलत बयानी अथवा धोखा देकर लिया गया अथवा निर्धारण शर्त का उल्लंघन किया गया तब आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और नगरपालिका द्वारा बिना किसी मुआवजा दिये भूखण्ड तथा उस पर बने भवन पर आधिपत्य कर लिया जायेगा।
5. आवंटित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन को आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा।
6. विद्यालय प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित की गई है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग नहीं लिया जा सकेगा तथा आवंटित भूमि को विक्रय या अन्यथा हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा तथा आवंटित भूमि

7



जामला शाजवी  
शाखा  
नगर पालिका, फलोदी

Dadha & Co Golden Jubilee Trust  
H. C. Share  
Trustee/Authorised Sign

व्यवसायी अधिकारी  
नगर पालिका, फलोदी

उप पंजीयक फलोदी

आवंटन प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भवन के निर्माण से पूर्व एवं पश्चात् किसी भी प्रतिबन्ध के दायित्वाधीन नहीं होगी।

7. भूमि प्रारम्भिक तौर पर दो वर्ष के भीतर भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ आवंटित की गई हैं। इस अवधि में जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित की है भवन का निर्माण पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। भवन का निर्माण अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि से एक वर्ष में प्रारम्भ करना होगा।
8. अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि से दो वर्ष में पूर्ण कर उपभोग में लेना होगा। इसके उल्लंघन अथवा किसी शर्त के उल्लंघन पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं भूमि भवन के साथ वापस आवंटन प्राधिकारी को भार रहित वापस प्राप्त हो जायेगी। इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा।
9. प्रत्येक वर्ष के माह अप्रैल में आवंटन प्राधिकारी द्वारा संस्थाओं को आवंटित भूमि का सर्वे करवाया जावेगा। अगर आवंटित भूमि रिक्त पायी जाती है अथवा संस्था द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाया जाने पर आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
10. किसी राष्ट्रीय कार्य या किसी आपातकाल में राज्य सरकार या नगरपालिका या जिला मजिस्ट्रेट विद्यालय परिसर को अस्थाई रूप से उपयोग में ले सकेगा, इसके लिए किसी भी प्रकार को कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा।
11. भू आवंटन निति 2015 व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश व निर्देशों की पालना करनी आवश्यक होगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख को पट्टाकर्ता के लिए और उसकी और से तथा उसके आदेश और निर्देश से श्री अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी नगरपालिका मण्डल, फलोदी ने और पट्टेदार ढढा एण्ड कम्पनी गोल्डन जुबली ट्रस्ट, चैन्नई ने इस पर अपने दस्तखत कर दिये हैं।

### अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है

नगरपालिका मण्डल फलोदी द्वारा मंजूर बापू नगर साकूथ ब्लॉक आवासीय योजना के ले आउट नक्शों में विद्यालय हेतु आवंटित भू-खण्ड/भूमि जिसका भूखण्ड नंबर 205 की साईज का क्षेत्रफल 64584 वर्गफुट या 7176 वर्गगज यानि 6000 वर्गमीटर है.और

ममला धानवी

अध्यक्ष

नगर पालिका, फलोदी

Dadha & Co Golden Jubilee Trust

Hesham  
Trustee/Authorized Sign

अधिकाारी अधिकारी  
नगर पालिका, फलोदी



Presentation Endorsement

आज दिनांक 01 माह 10 सन् 2018 को 11:31 AM बजे  
श्री/श्रीमती/सुत्री DHADHA AND COMPANY GOLDAN JUBALI TRUST :-  
THROU :- HEMCHAND पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RATAN CHAND

उम्र 45 वर्ष, जाति SHARMA, व्यवसाय Other  
निवासी House No.:0, Colony: 0, Area: 0, City: PHALODI, Pin code:  
342301, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN  
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता  
201801091005726

हस्ताक्षर उप पंजीयक,  
PHALODI

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land allotted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, executed before 30-09-2018 and submitted for registration within 8 months from the date of its execution. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802091005175
दिनांक	01-10-2018
पंजीयन शुल्क ₹	97451
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	487251
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	97450
कुल योग	682452

201801091005726

उप पंजीयक, PHALODI

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land allotted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, executed before 30-09-2018 and submitted for registration within 8 months from the date of its execution. (in favour of male)

Endorsement of Execution



उसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं-

उत्तर :- डामर सड़क 30' फीट  
दक्षिण :- डामर सड़क 30' फीट  
पूर्व :- नगरपालिका की भूमि  
पश्चिम :- डामर सड़क 40' फीट

और यह संलग्न नक्शों में बताया गया है इसकी सीमाएं लाल स्याही से अंकित कि गई है।

राजस्थान के राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए और उसकी और से तथा उनके आदेश व निर्देश से श्री अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल फलोदी ने निम्न की उपस्थिति में दस्तखत किये।

कमला चाववी  
अध्यक्ष  
नगरपालिका फलोदी

Dadha & Co Golden Jubilee Trust  
Keshav  
Trustee/Authorized Sign

अधिशाषी अधिकारी  
नगरपालिका फलोदी

आवंटनकर्ता अधिशाषी अधिकारी	अंगूष्ठा	तर्जनी	मध्यमिका	अनामिका	कनिष्ठा	हस्ताक्षर
आवंटी ढा एण्ड कम्पनी गोल्डन जुबली ट्रस्ट, चैन्नई						

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर एवं अंगूष्ठा निशान  
(आवंटनकर्ता व आवंटी)

साख 1 :- श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री महादत्त  
जाति पुरोहित (शाफन) फलोदी निवासी फलोदी की हैं।

साख 2 :- श्री चन्द्रशंकर पुत्र श्री जयराज  
जाति व्यापक फलोदी निवासी फलोदी की हैं।



उप पंजीयक फलोदी

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री E.O. NAGAR PALIKA-PHALODI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री E.O. NAGAR PALIKA-PHALODI, व्यवसाय जाति Nagar Palika			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री DHADHA AND COMPANY GOLDAN JUBALI TRUST :- THROU :- HEMCHAND, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RATAN CHAND, व्यवसाय Otherजाति SHARMA House No.:0, Colony: 0, Area: 0, City: PHALODI, Pin code: 342301, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 45 Signature 

ने लेख्यपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land allotted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, executed before 30-09-2018 and submitted for registration within 8 months from the date of its execution. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 9745008/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 9745008/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री GAJENDRA KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MAGDAT जाति PUROHIT Age: 47 Add: House No.:0, Colony: 0, Area: 0, City: PHALODI, Pin code: 342301, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature 
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री CHANDRA PRAKASH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JASRAJ जाति VYAS Age: 44 Add: House No.:0, Colony: 0, Area: 0, City: PHALODI, Pin code: 342301, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature 

201801091005726

उप पंजीयक, PHALODI


Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land allotted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, executed before 30-09-2018 and submitted for registration within 8 months from the date of its execution. (in favour of male)



नक्शा नजरीय भूखण्ड सख्या 205 बापू नगर साऊथ ब्लॉक  
आवासीय योजना, फलोदी, जि.-जोधपुर(राज.)

विक्रेता - अधिशासी अधिकारी नगर पालिका फलोदी

क्रेता - ढढा एण्ड को.गोल्डन जुब्ली ट्रस्ट चैन्नई/फलोदी



संकेत सूची नक्शे में ABCDE मार्क भूखण्ड का साईज का क्षेत्रफल  
64584 वर्ग फुट, 6000 वर्ग मीटर, 7176 वर्ग गज है

जिसको आज विक्रेता ने क्रेता को आवंटन किया है जिसका विवरण विक्रय पत्र में दर्ज है

(क्रेता)  
Dadha & Co Golden Jubilee Trust  
Trustee/Authorized Sign

(विक्रेता)

जमला थानवी  
अध्यक्ष  
नगर पालिका, फलोदी

अधिसायी अधिकारी  
नगर पालिका, फलोदी

Tabal Lohan  
कनिष्ठ अभियन्ता  
नगर पालिका मण्डल, फलोदी



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 9745008 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 487251 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 97451, सरचार्ज राशि 97450 कुल रु 682152 रसीद संख्या 201802091005175 दिनांक 01-10-2018 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 487251 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801091005726

उप पंजीयक, PHALODI

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land allotted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, executed before 30-09-2018 and submitted for registration within 8 months from the date of its execution. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 01/10/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 260 में

पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 201803091102742 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1041 के

पृष्ठ संख्या 13 से 32 पर चरपा किया गया ।

201801091005726

उप पंजीयक, PHALODI

Lease Deed or Sale Deed, executed in respect of land allotted/sold by State Government, RHB, UDH/local bodies, RIICO, PS, GP, KUM, RSCHFA and any other authority or enterprises of the State Government, executed before 30-09-2018 and submitted for registration within 8 months from the date of its execution. (in favour of male)



जिला जोधपुर (राज.)